संख्या– 942 / VII-A-2 / 2023–233(उद्योग) / 2008

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम के प्रशासनिक विभागों
के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2023

विषयः–पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–137845/XXVII(7) E-22807/2022, दिनांक 18 जुलाई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जो पांचवें वेतनमान में वेतन/भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी छठवें/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को दिनांक 01.01.2023 से स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर **396% को बढ़ाकर 412% प्रतिमाह** अनुमन्य किया गया है। साथ ही सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन से निकाय/उपकम में कार्यरत कार्मिकों को भी उक्तानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्तानुसार दरों पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त शासनादेश के कम में पांचवें वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपकमों के कार्मिकों के लिए संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निकाय/उपकम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुए नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।

संख्या— (1)/ VII-A-2/2023—233(उद्योग)/2008, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड।
2. राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अध्यक्ष, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
उप सचिव।

जारी

संख्या– 943 / VII-A-2 / 2023–233(उद्योग) / 2008

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपकम/निगम के प्रशासनिक विभागों
के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2023

विषयः–छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपकमों के कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते का 01 जुलाई, 2022 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–77444/XXVII(7) E-22807/2022, दिनांक 18 नवम्बर, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/उपकमों के उन कर्मचारियों को जो छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की शिफारिसों के अनुसार छठवें वेतनबैन्ड/ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को दिनांक 01.07.2022 से स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की दर **203% को बढ़ाकर 212%** प्रतिमाह अनुमन्य किया गया है। साथ ही सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन से निकाय/उपकम में कार्यरत कार्मिकों को भी उक्तानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्तानुसार दरों पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त शासनादेश के कम में छठवें वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपकमों के कार्मिकों के लिए संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निकाय/उपकम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुए नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।

संख्या– 943 (1) / VII-A-2 / 2023–233(उद्योग) / 2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड।
2. राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों के प्रबन्ध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अध्यक्ष, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)

उप सचिव।

जारी

संख्या– 944 / VII-A-2 / 2023–233(उद्योग) / 2008

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम / निगम के प्रशासनिक विभागों
के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2023

विषयः–छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय / उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–126933/XXVII(7) E-22807 / 2022, दिनांक 02 जून, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों / उपक्रमों के उन कर्मचारियों को जो छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की शिफारिसों के अनुसार छठवें वेतनबैन्ड / ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को दिनांक 01.01.2023 से स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर **212% को बढ़ाकर 221%** प्रतिमाह अनुमन्य किया गया है। साथ ही सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन से निकाय / उपकम में कार्यरत कार्मिकों को भी उक्तानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्तानुसार दरों पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त शासनादेश के कम में छठवें वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय / उपकमों के कार्मिकों के लिए संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निकाय / उपकम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुए नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।

संख्या– 944 (1)/VII-A-2/2023—233(उद्योग)/2008, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड।
2. राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अध्यक्ष, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
उप सचिव।

जारी

संख्या– 945 / VII-A-2 / 2023–233(उद्योग) / 2008

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपकम/निगम के प्रशासनिक विभागों
के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2023

विषयः–सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपकमों के कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–126937/XXVII(7) E-22807/2022 दिनांक 02 जून, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों जिन्हें सातवां केन्द्रीय वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01.01.2023 से मूल वेतन में अनुमन्य मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर **38% को बढ़ाकर 42%** प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन से निकाय/उपकम में कार्यरत कार्मिकों को भी उक्तानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्तानुसार दरों पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त शासनादेश के कम में सातवें वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपकमों के कार्मिकों के लिए संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निकाय/उपकम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुए नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।

संख्या– 945 (1)/VII-A-2/2023–233(उद्योग)/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड।
2. राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अध्यक्ष, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
उप सचिव।

जारी

संख्या– 946 / VII-A-2 / 2023–233(उद्योग) / 2008

प्रेषक,

विनय शंकर पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम / निगम के प्रशासनिक विभागों
के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2023

विषयः–सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय / उपक्रमों के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों के लिए मंहगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–126934/XXVII(7) E-22807 / 2022 दिनांक 02 जून, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी वेतन सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को दिनांक 01.01.2023 से **38% के स्थान पर 42%** की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है। साथ ही सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन से निकाय / उपकम में कार्यरत कार्मिकों को भी उक्तानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्तानुसार दरों पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त शासनादेश के कम में सातवें वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय / उपकमों के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों के लिए संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निकाय / उपकम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुए नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव।

संख्या– 946 (1)/ VII-A-2/2023–233(उद्योग)/2008, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड।
2. राज्य के समस्त सार्वजनिक उपकमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अध्यक्ष, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)

उप सचिव।